16वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन सिफारिशें
16th Indian Cooperative Congress Recommendations

NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA

Dr. Chandra Pal Singh Yadav, President, NCUI addressing on the occasion of 16th Indian Cooperative Congress. Also seen are the esteem dignitaries sitting on the dias.

16 वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन
16TH INDIAN COOPERATIVE CONGRESS

सिफारिशें
RECOMMENDATIONS

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ
NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA
3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया अगस्त क्रान्ति मार्ग,
3 Siri Institutional Area, August Kranti Marg,
नई दिल्ली–110016
New Delhi-110016
E-Mail: ncuidel@ndb.vsnl.net.in, ncui.pr@gmail.com
Website: www.ncui.coop

16oa Hkkjrh; lgdkjh egklEesyu dh flQkfj'ksa

25&26 twu] 2013] ubZ fnYyh

dk;kZUo;u ;kstuk

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने 16वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन, जो भारतीय सहकारी आंदोलन का उच्चतम मंच है, का नई दिल्ली में 25 – 26 जून, 2013 को आयोजन किया। प्रतिनिधियों का पंजीकरण आयोजन से एक दिन पूर्व अर्थात् 24 जून, 2013 को किया गया। महासम्मेलन का उद्घाटन भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने किया। माननीय केन्द्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री शरद पवार ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने उद्घाटन सत्र में भाग लिया उनमें गुजरात एवं उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल, दिल्ली की माननीय मुख्य मंत्री, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री, माननीय श्री तारिक अनवरजी, आई.सी.ए., अध्यक्षा, सुश्री डेम पालीन ग्रीन, आई.सी.ए.–एशिया पेसिफिक, अध्यक्ष, श्री ली चूगशंग, एवं असम, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, तमिलनाडु, सिक्किम, हरियाणा, गोआ के माननीय सहकारिता मंत्री शामिल थे। सचिव (कृषि एवं सहकारिता), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय एवं अवर सचिव, कृषि मंत्रालय और नाबार्ड, एन.सी.डी.सी., राष्ट्रीय सहकारी संघों के अध्यक्ष, महाप्रबंधक, वरिष्ठ

16 वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर दीप प्रज्जलन के समय महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी साथ में डा0 चन्द्रपाल सिंह यादव, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ।

Recommendations of 16th Indian Cooperative Congress

25-26 June, 2013 at New Delhi

Implementation Plan

The National Cooperative Union of India being an apex organization of the Indian Cooperative Movement organized 16th Indian Cooperative Congress the highest forum of Indian Cooperative Movement on 25-26 June 2013 at New Delhi. Registration of the delegates took place a day before the event i.e. on 24 June 2013. The Congress was inaugurated by His Excellency, President of India, Shri Pranab Mukherjee. Shri Sharad Pawar. Hon'ble Union Minister of Agriculture and Food Processing Industries presided over the Inaugural Function. The other dignitaries who graced the occasion and participated in the Inaugural Function were His Excellency Governors of Gujarat and Odisha, Hon'ble Chief Minister of Delhi, Hon'ble Minister of State for Agriculture and Food Processing Industries Shri Tariq Anwar Ji, Ms. Dame Pauline Green, President of ICA, Mr. Li Chunsheng, President ICA Asia Pacific, Hon'ble Cooperation Ministers of Assam, Andhra Pradesh, Mizoram, Meghalaya Manipur, Tamil Nadu, Sikkim, Haryana and Goa. The Secretary (Coop.), Additional Secretary (Coop.) Govt. of India, Ministry of Agriculture and other senior officers from

Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble President of India lighting the lamp to inaugurate the 16th Indian Cooperative Congress.

महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी बोलते हुए।

अधिकारीगण, सहकारिता प्रभारी सचिव, पंजीयक सहकारी समितियां, वरिष्ठ सहकार बंधुओं ने भी महासम्मेलन में भाग लिया।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष, डा. चन्द्रपाल सिंह यादव ने स्वागत भाषण दिया। अपने स्वागत भाषण में संघ के अध्यक्ष ने सहकारी क्षेत्र की उपलब्धियों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला और देश में सहकारी क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली मुख्य समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने केन्द्रीय कृषि और खाद्य संसाधन उद्योग मंत्री श्री शरद पवार जी को संविधान संशोधन अधिनियम (सत्तानवे)–2011 लाने के लिए बधाई दी जिसमें कि सहकारी समिति के गठन का मौलिक अधिकार दिया गया है। यह भारतीय सहकारिता आंदोलन के सवंर्धन और विकास की दृष्टि से एक ऐतिहासिक कदम है।

महासम्मेलन में लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त चीन, जापान, नेपाल, श्रीलंका, यू.के., बांगलादेश, भूटान आदि से 36 प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष डा0 चन्दपाल सिंह यादव का सम्बोधन।

NABARD, NCDC, National Cooperative Federations, Secretary Incharge Cooperation, Registrar of Cooperative Societies, Senior Cooperators also participated in the Congress.

Chief Guest and other guests on dais on the occasion of 16th ICC inauguration session.

Dr. Chandrapal Singh Yadav, President of NCUI delivered the welcome address. In his welcome address, President NCUI highlighted the achievements of the cooperative sector and emphasized upon the crucial problems being faced by the cooperative sector in the country. He congratulated Union Minister of Agriculture and Food Processing Industries Shri Pawar for bringing the Constitution (Ninety Seven) Amendment Act giving fundamental right to form Cooperative Society, which he described as a historic step for promotion and development of Cooperative Movement in India.

Shri Sharad Pawar, Hon'ble Union Minister of Agriculture and Food Processing Industries speaking on the occasion of 16th Indian Cooperative Congress.

महामहिम राज्यपाल एवं प्रशासक केन्द्र शासित प्रदेश पंजाब श्री शिवराज वी. पाटिल बोलते हुए।

16वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन के दौरान प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा (1) स्मारिका, (2) सफलता की कहानियां–कोआपरेटिव सर्ज अहेड, (3) बुक ऑन राइट टू इन्फॉरमेशन एण्ड कोआपरेटिव लॉ आदि का विमोचन किया गया।

Þcgrj fo'o d fuek.k e lgdkfjrk,Þ

महासम्मेलन में 8 (आठ) तकनीकी सत्रों में शामिल किए गए अन्य विषय थे – प्रत्यक्ष कर संहिता, सहकारी समितियों को आयकर में छूट, सहकारिता विधान और अभिशासन वर्तमान प्रवृत्तियां, सहकारी क्रेडिट सेक्टर मुद्दे और चुनौतियां, सहकारी उद्यम–स्वीकार्य कार्य मॉडल, उपभोक्ता और खाद्य सुरक्षा–सहकारिता की भूमिका, सहकारिता में महिलाएं और युवा, सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण, उभरते हुए और कमज़ोर सहकारी क्षेत्र आदि चर्चाओं में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के मद्देनज़र प्रत्येक सत्र को विषय विशेषज्ञों के मुख्य विचारों द्वारा सम्बोधित किया गया।

श्री एस0 सी0 जमीर, राज्यपाल उड़ीसा इस अवसर पर बोलते हुए।

The Congress was attended by nearly 2000 delegates. In addition, 36 fraternal delegates from China, Japan, Nepal, Sri Lanka, UK, Bangladesh, Bhutan etc. participated in the event.

The documents released by the dignitaries during the 16th ICC were (i) **Souvenir**, (ii) Success Stories – **Cooperatives Surge Ahead….. (Tales of Success and Achievement**) (iii) **Book on Right to Information and Cooperative Law**.

President of India Shri Pranab Mukherjee & Shri Sharad Pawar, Minister of Agriculture & Food Processing Industries releasing the Souvenir on the occasion.

The theme of the Congress was "**Cooperative Enterprises Build a Better World**"

The other subjects deliberated upon in eight (8) technical sessions in the Congress included Direct Tax Code-Income Tax Exemption to Cooperatives, Cooperative Legislation and Governance: Recent Trends, Cooperative Credit Sector – Issues and Challenges, Cooperative Enterprises - Acceptable Business Model, Consumer and Food Security - A Role of Cooperatives, Women and Youth in Cooperatives, Cooperative Education and Training, Emerging Cooperatives and Weaker Section Cooperatives.

Hon'ble Governor of Punjab Shri Shivraj V. Patil releasing the book on RTI and Cooperative Law on the occasion of valedictory session.

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष डा. चन्दपाल सिंह यादव बोलते हुए।

सहकारिताओं की उपलब्धियों और उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु महासम्मेलन स्थल के निकट भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की सहकारी शिक्षा फील्ड परियोजनाओं जैसे शिमोगा, शिलांग, जालंधर, बिलासपुर, मोरेगांव, आस्का, कोहिमा, अहमदाबाद, सुरेन्द्रनगर, मणिपुर, थोबल और खुर्द की प्रर्दशनी भी लगाई गई थी। स्व–सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा निर्मित वस्तुओं के प्रदर्शनी और सामाजिक दृष्टि से उनकी उपलब्धियों का उल्लेख किया गया।

इस अवसर पर आयोजित की जाने वाली सांस्कृतिक संध्या को उत्तराखण्ड राज्य में आई प्राकृतिक आपदा के कारण रद्द कर दिया गया और श्रद्धांजलि स्वरूप दो मिनट का मौन रखा गया।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल, पंजाब और संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के प्रशासक श्री शिवराज जी पाटिल थे। मुख्य अतिथि द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की सर्वोत्तम सहकारी समितियों को पुरस्कार वितरित किए गए। केन्द्रीय राज्यमंत्री, रसायन और उर्वरक (स्वतंत्र प्रभार) श्री श्रीकांत जेना सम्माननीय अतिथि थे। इस अवसर पर कृभको ने एक करोड़ का चैक माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री रसायन एवं उर्वरक को उत्तराखण्ड राहत सहायता कोष के लिए प्रदान किया। कोआपरेशन पी. डब्ल्यू.डी. और सिंचाई मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री शिवपाल यादव ने समारोह की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष डॉ. चन्द्रपाल सिंह यादव ने अतिथियों/प्रतिनिधियों का स्वागत किया। अंत में डा. दिनेश, मुख्य कार्यकारी, भा.रा.सह. संघ द्वारा विभिन्न तकनीकी सत्रों में उभरी सिफारिशों का मसौदा प्रस्तुत किया गया।

दो दिन की विस्तृत चर्चाओं के बाद देश में सहकारी आंदोलन के सुदृढ़ीकरण हेतु अनेक सिफारिशें पारित की गईं। महासम्मेलन की मुख्य चिंता भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के प्रत्यक्ष कर

महासम्मेलन के समापन समारोह के अवसर पर डा0 चन्द्रपाल सिंह यादव, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय संहकारी संघ केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए।

To make the deliberations more participative, each session was introduced with key note addressed by subject experts and the subject papers were presented by the resource persons.

Ms. Dame Pauline, President, ICA and Dr. Dinesh, Chief Executive, NCUI participating in NCUI Cooperative Education field Projects exhibition organised on the occasion

To show-case the products of cooperatives, an exhibition of NCUI Cooperative Education Field Projects situated in Shimoga, Shillong, Jalandhar, Bilaspur, Moregaon, Aska, Kohima, Ahemdabad, Surendernagar, Manipur, Thoubal and Khurd was organized near the venue of the Congress. Efforts were made to show care the products made by the members of SHGs and their achievements on social front.

In the Valedictory Session Shri Shivraj V Patil Hon"ble Governor of Punjab and Administrator U.T. Chandigarh was the Chief Guest. The Chief Guest presented awards to the best cooperative societies in different sectors. Hon'ble Union Minister of State (Independent Charge) for Chemical and Fertilizer Shri Srikant Jena was Guest of Honour. On this occasion KRIBHCO presented Rs.1.00 crore cheque to Union Minister of Chemical and Fertilizer in Relief Fund of Uttarakhand. Hon'ble Minister of Cooperation. PWD and Irrigation, Government of UP Shri Shivpal Yadav presided over the Session. Shri Chandra Pal Singh Yadav, President, NCUI welcomed the guests. Dr. Dinesh, Chief Executive, NCUI placed draft recommendations which emerged from various technical sessions before the House for consideration.

Dr. Chandra Pal Singh Yadav, President NCUI presented momento to Hon'ble Governor of Punjab & Administrator U.T. Chandigargh Shri Shivraj V. Patil on the occasion of Valedictory Function.

After two days deliberations, the Congress came up with a number of recommendations for strengthening the

महासम्मेलन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर डा0 चन्दपाल सिंह यादव, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को स्मृति चिन्ह देते हुए।

कोड बिल और शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अपर्याप्त निधि से 60 प्रतिशत से केवल 16 प्रतिशत तक क्रेडिट में कटौती किए जाने से संबंधित थी। इसकी वजह से सहकारी संस्थाओं पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है। रोजगार सम्भावना और स्वरोजगार के सृजन हेतु सर्विस क्षेत्रों में सहकारी संगठनों द्वारा नई पीढ़ी की सहकारिताओं का गठन और सहकारी क्षेत्र में महिलाओं और युवाओं की अधिक भागीदारी से संबंधित मुख्य सिफारिशें हैं। स्वायत्तता, लोकतांत्रिक, व्यावसायिक और आर्थिक रूप से मज़बूत करने के मद्देनजर सहकारिता को अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु कुछ नीतिगत मुद्दों, नीति संबंधी पहल, सैक्टोरल मुद्दों और मानव संसाधन विकास संबंधी मुद्दों की पहचान की गई।

महासम्मेलन की मुख्य सिफारिशें/सुझाव :

lgdkjh uhfr] lgdkjh f'k{kk vkj if'k{k.k

1. भारत में सहकारिता ने हमारी अर्थव्यवस्था की समग्र संवृद्धि में विशेष रूप से कृषि, क्रेडिट, शक्कर, डेयरी, वस्त्र, मत्स्य पालन, उर्वरक वितरण, कृषि इनपुट, भंडारण और विपणन के क्षेत्र में स्पष्ट और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारी अर्थव्यवस्था के कुल विकास के लिए ये महत्वपूर्ण अवयव हैं। सेक्टर के बाहर इनका कार्यनिष्पादन, कार्य और क्षेत्र परिवर्तनीय है। अतः इन्हें अपनी दक्षता अनुसार पुनः अनुकूल किए जाने और अपने मुख्य ग्राहक–गणों, कृषकों, कारीगरों, उत्पादकों, उत्पानकर्ताओं और महिलाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता है।

(राष्ट्र स्तरीय सहकारी संगठन और बहुराज्यीय सहकारी समितियां, राज्य स्तरीय सहकारी संघ)

2. सहकारिताओं को हमारी अर्थव्यवस्था के उस मुख्य क्षेत्र के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए जो सीमान्त और कमजोर वर्ग के लिए है। इन्हें ऐसे क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाना और प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए जहां सहकारिताएं अपना प्रभाव स्थापित कर सकती हैं जैसे कि– ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा, क्रेडिट, जल संचयन, पर्यटन, संचार और सत्कार आदि।

(भारत सरकार, राष्ट्रीय स्तरीय सहकारी संघ, राज्य स्तरीय सहकारी संघ, विभिन्न राज्यों के आर.सी.एस.)

3. सहकारिताओं का प्रबंधन पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और उत्साहपूर्ण सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। सहकारिताएं व्यक्ति को अधिकार प्रदान करती हैं। क्षमता विर्निमित करती हैं और सामर्थ्य विकसित करती हैं। महासम्मेलन में सरकार से आग्रह है कि वह भारत में सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करे।

(भारत सरकार, एन.सी.सी.टी., एन.सी.यू.आई. राज्य सहकारी संघ और जे.सी.टी.सी.)

cooperative movement in the country. The prime concern of the Congress were issues related to Direct Tax Code Bill of Ministry of Finance, Government of India and inadequate funds earmarked for education and training. Organization of new generation cooperatives by cooperative organizations in service sector to create employment potential, and enhancement of women and youth participation in cooperatives emerged as the other important recommendations. Several policy issues, policy initiatives, sectoral issues and issues related to HRD for strengthening the cooperatives emerged so that the cooperatives emerge as autonomous, democratic, professional and economically sound enterprises.

On the occasion of Valedictory Function
Chief Guest and other Guests of Honour on the dais.

The following were the main recommendations/suggestions:

General Cooperative Policy & Education & Training

1. The cooperatives in India have made a significant contribution to the overall economic growth of our economy, especially in the sectors of agriculture, credit, sugar, dairy, textile, fisheries, distribution of fertilizer, agriculture input, storage and marketing. They are an important component for inclusive growth of our economy. However, their performance across sectors, activities and regions is variable. Hence, they need to reorient themselves to enhance their level of efficiency and meet the requirements of their core clientele – farmers, artisan, growers, producers and women. (National Level Cooperative Organisation & multi-State Cooperative Societies, State Level Cooperative Federations)

2. Cooperatives must receive recognition as an important sector of our economy that serve marginalized and weaker sections. They must be made commercially viable in the areas where they can make an impact such as rural health, education, credit, water harvesting, tourism, communication and hospitality etc.

   (Govt. of India, National level cooperative federation, State level Cooperative Federation, RCS of various States)

3. Cooperatives must be managed by adequately trained and enthuasiastic members. Cooperatives empower people, build capacities and develop capabilities. The Congress urges the Government for financial support for cooperative education and training activities in India.

   (Govt. of India, NCCT, NCUI, State Cooperative Union & JCTs)

4. विश्व में जहां भारत जनसांख्यिकी दृष्टि से लाभ उठाने की स्थिति में है, सहकारी क्षेत्र युवा वर्ग को शिक्षा प्रदान करने और उनके कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राज्य सरकार सहकारी समितियों के कर्मचारियों को उनके वार्षिक ग्रेड वेतनवृद्धि और पदोन्नतियां दिलाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य किया जाना सुनिश्चित करती है। केरल सरकार ने सहकारी समिति के सदस्यों के लिए कार्यक्रम अनिवार्य किए जाने हेतु पहले से ही संगत नियमों में संशोधन कर दिए हैं। इससे व्यवसायीकरण के लिए बेहतर कार्य क्षेत्र का सृजन होगा।

(सहकारिता विभाग/राज्य सरकारें/आर.सी.एस., एन.सी.यू.आई., राज्य सहकारी संघ, एन.सी.ई.आर.टी., ए.आई.यू.)

5. सहकारिता ने ऐसे स्वयं सहायता समूहों को विकसित करके जो विभिन्न आयोजित क्रियाकलापों, प्रौढ़ शिक्षा और सहकारी शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, महिला सशक्तीकरण में योगदान दिया है। सहकारिताओं की रोजगार, शिक्षा, वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल में भी प्रमुख भूमिका होती है।

(भारत सरकार, एन.सी.यू.आई., राज्य सरकार, राज्य सहकारी संघ, राष्ट्रीय महिला आयोग, योजना आयोग)

6. सरकार द्वारा 97वां संवैधानिक संशोधन पास किए जाने की सराहना की जाती है, जिसके कारण सहकारिताओं के विकास हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन हो सका, फलस्वरूप वे व्यावसायिक कार्य को सम्पन्न करने में समर्थ हो सकेंगी। इस संशोधन के फलस्वरूप सहकारी समिति के गठन का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार बन गया है, किन्तु आगे आधारिक स्तर पर कुछ और पहल किए जाने के मद्देनजर महासम्मेलन का राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह अनुकूल वातावरण के सृजन हेतु राज्य नियमों में यथासमय आवश्यकतानुसार संशोधन करें।

(राज्य सरकार, राज्य सहकारी संघ, आर.सी.एस.)

7. सहकारिताएं फार्म क्षेत्र में लाखों लोगों के लिए कार्य करने के अवसरों, संपोषणीय आजीविका के अवसर का सृजन करती हैं और ग्रामीण शहरी प्रवास को बदलने की भी क्षमता रखती हैं।

(ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, योजना आयोग, राज्य सरकार)

8. अल्प अवधि और दीर्घ अवधि सहकारी क्रेडिट संरचना और शहरी बैंकिंग सेक्टर में वित्तीय समावेशन के सवंर्धन की समर्थता होती है जो ग्रामीण और अर्द्ध–ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।

(आर.बी.आई., नाबार्ड, कृषि मंत्रालय, आर.सी.एस., एन.ए.एफ.एस.सी.ओ.बी., एन.ए.एफ.सी.यू.बी., नेफॅकार्ड)

9. सहकारिताओं को विभिन्न श्रेणियों और उनके द्वारा चलाए जाने वाली विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए महासम्मेलन का भारत सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह नीति और पर्याप्त वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएं।

(कृषि मंत्रालय, नाबार्ड, राज्य सरकार)

10. बहुराज्य सहकारी समिति (संशोधन) बिल 2010 में संशोधन का अनुमोदन देने के लिए केन्द्र सरकार की प्रशंसा करते हुए महासम्मेलन का राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को शीघ्र पारित करवाएं। यह बहुराज्य सहकारी समितियों की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम होगा और अलाभकारी सहकारिताओं की पुनः स्थापना और पुर्ननिर्माण की व्यवस्था करने में भी सहायक होगा।

(भारत सरकार, कृषि मंत्रालय)

4. In a globalised world, where India is placed in a better way to reap demographic dividend, the cooperative sector can play an important role in skill development amongst the youth. Some of the State Govts. have made training programmes compulsory for the employees of cooperative societies for getting their Annual grade increment and promotion. Kerala Govt. has already amended the relevant rules to make programme compulsory for the employees of cooperatives. This will create greater scope for professionalization.

   (Department of Cooperation, State Govts./RCS, NCUI, State Cooperative Union, NCERT, AIU)

5. Cooperatives have contributed to women empowerment by promoting self help groups, which organise various income generating activities, adult literacy and cooperative education programmes. Cooperatives also have a major role in providing democratic access to employment, education, financial security and health care.

   (Govt. of India, NCUI, State Government, State Cooperative Federations, National Women Commission, Planning Commission)

6. The Government step through enacting the 97th Constitutional Amendment thereby creating an enabling environment for the development of the cooperatives is indeed appreciable. This would further promote democratic, autonomous and professional working of the cooperatives. By this amendment the right to form a cooperative society has now become a fundamental right. But, to take initiatives further to the grassroot level, the Congress urges the state governments to create enabling environment by amending state laws as and when it is necessary.

   (State Government, State Coop. Federation, RCS)

7. Cooperatives create the job opportunities, provide sustainable livelihood for millions of people in the farm sector and also have the capacity to reverse the rural urban migration.

   (Ministry of Rural Development, Govt. of India, Ministry of Agriculture, Planning Commission, State Government)

8. The short-term and long term cooperative credit structure as well as banking sectors have the capability to promote financial inclusion which is necessary in inclusive growth for rural and semi-rural areas.

   (RBI, NABARD, Ministry of Agriculture, RCS, NAFSCOB, NAFCUB, NAFCARD)

9. In order to strengthen the different tiers of cooperatives and also various schemes and programmes run by the cooperatives, the Congress urges the Government of India and State Governments to provide policy and adequate financial support.

   (Ministry of Agriculture, NABARD, State Governments)

10. While appreciating the Central Government for giving approval to amend Multi State Cooperative Societies (Amendment) Bill 2010, the Congress urges upon the government to expedite passage of the bill. This would be an important step for safeguarding the multi state cooperative societies and also

11. भारत में कृषि क्षेत्र में असंख्य प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं जो कृषि इनपुट की आपूर्ति, क्रेडिट, विपणन और भंडारण क्षमता के कार्य की देख–रेख कर रही हैं। इन सहकारिताओं को छोटे और सीमांत कृषकों द्वारा संगठित किया जाता है। इन किसानों को विकट ज्ञान रिक्त और निवेश सुपुर्दगी व्यवस्था में विसंगतियों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार और राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि वह सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण की परिकल्पना को पर्याप्त महत्व दे जिससे कि गांव में रहने वाले पैक्स के सदस्य आधुनिक प्रौद्योगिकी, के प्रयोग में समर्थ हो सकें और विपणन सूचना तथा जोखिम प्रबंधन का प्रयोग कर सकें।

(नाबार्ड, कृषि मंत्रालय, राज्य सरकार, आर. सी.एस. ग्रामीण विकास)

12. सहकारिता राज्य का विषय है। सहकारी क्षेत्र प्रभावी रूप से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अतः सहकारी क्षेत्र में विकास के प्रयासों के लिए निधि और श्रम शक्ति की दृष्टि से राज्य की सहभागिता प्रभावी रूप से अपेक्षित है। राज्य के प्रभावी सहयोग के बिना संपोषित सहकारिता विकास असंभव है।

(राज्य सरकार)

13. सरकार को सहकारी समितियों को अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बेहतर समर्थक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए और सहकारिताओं को चाहिए कि वे स्वयं अपनी प्रौद्योगिकी को उन्नत करें, अपनी कार्यशैली में सुधार करें और उसे आधुनिक रूप प्रदान करें जिससे कि युवाओं में इनमें शामिल होने के प्रति रूचि उत्पन्न हों और वे अपनी सहकारिता पहचान से समझौता किए बगैर तथा अनिवार्य सहकारिता प्रकृति से विचलित हुए बगैर अधिक प्रतियोगी बन सकें और नए परिवर्तन ला सकें।

(भारत सरकार, बहु–राज्य सहकारी समितियां, सभी राष्ट्रीय सहकारी संघ, राज्य सहकारी संघ)

iR;{k dj dkM fcy

1. आयकर अधिनियम की धारा 80 (पी) के अधीन मूल्यांकन वर्ष 2006–07 से पूर्व की आयकर कटौतियों को पुनः स्थापित करना और तदनुसार प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर कोड की धारा 86 में कृपया संशोधन किया जाए। इससे बैंकिंग कार्यों में शामिल सहकारी समिति की आय के संबंध में अपने सदस्यों को बैंकिग ऋण सुविधा प्रदान करने से प्राप्त आय में छूट होती है, अन्यथा धारा 80(पी) तथा प्रत्यक्ष कर कोड की प्रस्तावित धारा 86 को हटाकर आयकर अधिनियम की धारा 10 में उपयुक्त संशोधन किया

महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी और कृषि मंत्री श्री शरद पवार स्मारिका का विमोचन करते हुए।

creating a provision for revival of sick cooperatives for their rehabilitation and reconstruction.

(Govt. of India, Ministry of Agriculture, NCDC, NCUI)

11. The agriculture sector in India has a large number of primary agriculture cooperative societies handling supply of agriculture inputs, credit, marketing and storage capacity. These cooperatives are organized by small and marginal farmers who face acute knowledge gap and deficiency in inputs in the delivery system. The Government of India and the state governments need to give adequate importance to the concept of cooperative education and training so that the members of the PACS residing in the villages are able to use modern technology, rural infrastructure and make use of market information and risk management.

(NABARD, Ministry of Agriculture, State Government, RCS)

12. Cooperative is a State Subject. Cooperative sector falls within the domain of the state government. Therefore, for any development related to the cooperative sector, the State must participate effectively both in terms of money and manpower. Without effective participation of the states, sustainable cooperative development is impossible.

(State Government, NCUI)

13. The Government should provide a better enabling climate for the cooperatives to play a bigger role and the cooperatives themselves should upgrade their technologies, improve and modernize the ways of doing businesses in order to create interest among youth for a greater involvement in the functioning of cooperatives. The cooperatives would become more competitive as well as innovative without compromising their cooperative identity and without deviating from essential cooperative ethos.

(Govt. of India, Multi State Cooperative Society, All National Cooperative Federations, State Cooperative Union)

Direct Tax Code Bill

1. For restoration of Income Tax benefits reductions under Section 80 (P), of the Income Tax Act which were existing prior to assessment year 2006-07, an amendment in

Shri B.D. Sinha, Managing Director, KRIBHCO & Chairperson of the Business Session speaking on the Direct Tax Code Bill.

जाए जिससे सभी सहकारी बैंकों को आयकर से पूरी तरह छूट प्राप्त हो जाए।

2. सहकारी समितियों को अन्य सहकारी समिति से या अन्य से प्राप्त ब्याज/लाभांश को कर में पूरी तरह से छूट दी जाए।

3. समिति द्वारा उपभोक्ता से स्त्रोत पर काटे जाने वाले प्रावधान को सहकारी समितियों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

4. धारा 36(i)(viiए) के परन्तुक में अनुसूचित बैंक या गैर अनुसूचित बैंक के बाद "सहकारी बैंक" का उल्लेख किया जाए जिससे कि मूल्यांकन अधिकारी को इस बिन्दु पर कोई भ्रम न रहे।

5. धारा 36(i) (viiए) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए "किसी अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक के मामले में एन.पी.ए. के संबंध में अशोध्य और संदिग्ध ऋण के प्रावधानों की भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार कटौती के रूप मे अनुमति दी जानी चाहिए"। उपर्युक्त के आधार पर प्रत्यक्ष कर कोड 2010 के मसौदे में आवश्यक संशोधन किए जाएं।

6. धारा 8पी (xxi) में कर कटौती के लिए अनुसूचित बैंक की तरह ही सहकारी बैंक के साथ भी सावधि जमा भी वांछनीय होनी चाहिए।

7. धारा 43डी में अनुसूचित बैंक तथा गैर अनुसूचित सहकारी बैंकों में प्रावधानों की प्रयोज्यता शामिल करके संशोधन किया जाना चाहिए।

8. ऋण वसूली अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को सभी सहकारी बैंकों के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए।

9. यद्यपि भारत सरकार की सहकारी बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता देना प्रशंसनीय है पर यह उन्हें तब तक सक्षम नहीं करेगी जब तक कि इस आर्थिक सहायता की दर 4.5 प्रतिशत न हो, अतः न्यूनतम 3 प्रतिशत की दर को जारी रखा जाए जो कि पहले थी जिससे कि सहकारी बैंक सक्षम यूनिटों के रूप में कार्य कर सकें।

10. विभिन्न बैंकों को कृषि के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्राथमिक क्षेत्रों के अधीन नेफेड, मार्कफेड को ऋण उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए जाने चाहिएं। फिलहाल नेफेड अधिक ब्याज दर पर ऋण ले रहा है क्योंकि नेफेड के कृषि विपणन संबंधी कार्यकलाप कृषि के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं।

11. आवास समितियों के मामले में जैसा कि अभी उपलब्ध है, आयकर अधिनियम 1961 के अधीन धारा 80पी(2)(सी)(i) और (ii) की राशि से परिमाण निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि फिलहाल किया जाता है बल्कि इसे इन कार्यों से प्राप्त कुल लाभ और उपलब्धियों की प्रतिशतता के रूप में बदला जाना चाहिए। उपर्युक्त धारा के संदर्भ में कटौती ऐसे लाभ और उपलब्धियों के 50 प्रतिशत दर से की जानी चाहिए।

12. आयकर अधिनियम, 1961 में प्रस्तावित नई धारा 80ईई जिसे वित्त बिल 2013 में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है जिसके अनुसार आवासीय सम्पत्ति हेतु लिए जाने वाले ऋण पर ब्याज में कटौती की व्यवस्था है, उसमें इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि किसी भी ऐसे सहकारी बैंक जिसे ऐसे ब्याज का भुगतान किया जाता है, से लिया गया ऋण भी अधिक कटौती योग्य होगा। सहकारी बैंक के बारे में विशेष उल्लेख न किए जाने की स्थिति में कर दाताओं के मन में भ्रम उत्पन्न होगा।

Section 86 of the proposed Direct Tax Code Bill may kindly be made whereby the income from the business of providing banking credit facility to its members is exempted in respect of the incomes of a cooperative society engaged in banking activities, otherwise Section 80(P) as well as the proposed Section 86 of the Direct Tax Code Bill may be deleted and suitable amendments may be made in Section 10 of the Income Tax Act whereby the cooperative banks are completely exempted from Income Tax.

2. Interest/dividend received by cooperative societies either from other cooperative society or from others has to be fully exempted from Tax.

3. The provision of Tax to be deducted at source by a society from the customer shall not be applicable to cooperative societies.

4. In the proviso to section 36(1) (viia) specifically "co-operative Bank" should be mentioned next to scheduled bank or non-scheduled bank so that the assessing officer does not have any confusion on this front.

5. The following proviso may be added in section 36 (1) (viia):- "Provided that in the case of a scheduled bank or a non scheduled bank or a co-operative bank, the provisions for bad and doubtful debts in respect of NPAs as per the requirement of Reserve Bank of India shall be allowed as a deduction, specifically on the above mentioned lines. Necessary amendment may be made in the draft Direct Taxes Code, 2010 accordingly.

6. In section 80C (xxi) term deposit even with a co-operative bank should be eligible for tax deduction exactly on the same lines as that of a scheduled bank.

7. Amendment to section 43D to include applicability of the provisions to scheduled as well as non-scheduled co-operative banks.

8. The jurisdiction of Debt Recovery Tribunals may be extended to all cooperative banks-

9. Though, the Government of India interest subvention to cooperative banks for 2% is appreciated it will not make them viable until the interest subvention rate is 4.5%. Hence, a minimum of 3% interest rate should be continued as it was earlier so that the cooperative banks can operate as viable units.

10. Directives to various banks may issued for providing loan to NAFED. Presently, NAFED is availing loan at a higher rate of interest since agri-marketing activities of NAFED are not covered under the Priority Sector of Agriculture.

11. In case of housing societies, the deduction under the Income Tax Act, 1961 as available presently under section 80 P(2)(c)(i)and (ii) should be quantified not by the amount as mentioned presently in the section but the some may be qualified as a percentage of the total profits and gains attributable to such activities. The deduction in terms of the above section may be made at least at the rate of 50% of such profits and gains.

12. The proposed new section 80EE in the Income-tax Act, 1961 as proposed to be inserted by the Finance Bill; 2013 which provides for deduction in respect of interest on loan taken for residential house property should specifically mention that the loan issued from any cooperative bank to whom such interest is paid will also

13. चीनी समितियों के मामले में उत्पादन शुल्क (गुड्स एण्ड स्पेशल इम्पॉरटेन्स) अधिनियम, 1957 की अतिरिक्त ड्यूटी अनुसूची में से चीनी का पुनः समावेश हो जिससे कि उत्पाद शुल्क के अलावा लगने वाले वैट से बचा जा सके।

14. आयकर प्राधिकारियों द्वारा चीनी मिलों को व्यवसाय–व्यय के रूप में अतिरिक्त केन मूल्य की नामंजूरी के संबंध में पुनः समीक्षा की जानी चाहिए।

15. चीनी उद्योग को प्राथमिक क्षेत्र माना जाए जिससे कि वह विभिन्न लाभों के लिए समर्थ हो सके।

16. सुगर केन परिवहन को सर्विस टैक्स से मुक्त करना।

17. शीरा (मोलॉसिस) से उत्पाद शुल्क कम करना।

18. श्रम सहकारी समितियों के श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य से आयकर अधिनियम की धारा 194(सी) के तहत स्त्रोत पर कर में कटौती के रूप में कोई भी टैक्स काटा जाना अपेक्षित नहीं है।

19. वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) उन पंजीकृत श्रम सहकारिताओं को रियायती पुर्नवित्त–पोषण सुविधा उपलब्ध करा रहा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में जो अधिकतर कार्य देने वाले अभिकरणों द्वारा जाता है उसके बारे में भी नाबार्ड द्वारा दिए जाने वाले रियायती वित्त पोषण के लिए विचार किया जाना चाहिए।

20. वित्त बिल 2013 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित आयकर दरें जो सहकारी समितियों पर लागू हैं वह 10 लाख रुपये तक की आय पर शून्य प्रतिशत की दर पर होनी चाहिए और सहकारी समितियों की आय 10 लाख रुपये से अधिक होने की स्थिति में 10 प्रतिशत की दर पर होनी चाहिए।

21. गैर–शासकीय संगठनों के संबंध में डी.टी.सी. बिल में केवल 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम कर दर की व्यवस्था है। सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मताधिकार लाभांश घोषणा और शेयरों के अहस्तांतरण को सीमित किया गया है। अतः किसी भी ऐसी सहकारिता के लिए जो खाद्य उत्पादन, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य केयर, परिवहन आदि को बढ़ावा दे रही हो प्रति आम व्यक्ति के लिए 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए जो कि अभी 30 प्रतिशत है।

22. अधिनियम की धारा 72(क) के अनुसार जो कि कम्पनियों के विलयन और समायोजन से संबंधित है, सहकारिताओं के लिए यह प्रावधान भी किए जाने चाहिएं कि घाटे में जाने वाली सहकारिताओं को लाभप्रद सहकारिताओं के साथ समायोजित किया जा सकता है।

23. सहकारिताओं को बेहतर पूंजी निर्माण में समर्थ बनाने और आगे चालू खाते में घाटे में सुधार लाने हेतु ऐसे भारतीय नागरिकों को भी सहकारी समितियों के सदस्य बनने की अनुमति दी जानी चाहिए जो रोजगार के कारण विदेशों में रहते हैं और उन्हें भी अन्य सदस्यों की तरह ही अधिकार प्राप्त होने चाहिएं। इससे सहकारिताओं को पूंजी निर्माण में सहायता मिलेगी जो कि एक महत्वपूर्ण समस्या है और साथ ही तकनीकी और प्रबंधन विशेषता भी प्राप्त होगी।

24. सहकारी समितियों के ऐसे कार्य–कलाप जिनसे प्राप्त आय को कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है जोकि छठी अनुसूची की मद संख्या 47 के साथ पठित प्रत्यक्ष कोड बिल 2012 के खंड 10 के मददेनज़र निर्धारित किए गए हैं उन्हें भी छठी अनुसूची के खंड 47 में शामिल

be eligible for higher deduction. No mention of the cooperative banks here would create confusion in the minds of the tax payers.

13. In case of sugar societies, re–inclusion of sugar from the Schedule of Additional Duties of Excise (Goods and Special Importance) Act, 1957 to save the imposition of VAT in addition to excise duty is necessary.

14 Review of disallowance of additional cane price as business expense to cooperative sugar factories by income tax authorities.

15. Sugar Industry may be treated as priority sector to avail various benefits.

16. Exemption of sugarcane transportation from the net of service tax

17. Reduction of Excise duty on molasses.

18. No tax needs to be deducted from the works of labour cooperative societies as tax deduction at source under Section 194 (c) of IT Act.

19. Presently National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) is providing concessional refinance facility to those registered labour cooperatives registered which are working in rural areas. However, it is stated that most of the works being awarded by work awarding agencies in urban areas should also be considered for concessional finance by NABARD.

20. The income-tax rates as mentioned in the First Schedule to the Finance Bill 2013 as applicable for the cooperative societies should be at the rate of NIL per cent on income up to Rs. 10 lakhs and at the rate of 10 per cent in case the income of the cooperative society exceeds Rs. 10 lakhs.

21. In case of non-governmental organizations DTC bill provides maximum tax rates @20% only. The provisions of the Cooperative Act restrict voting right dividend declaration and non transfer of shares and hence the maximum tax rate for any cooperative which is promoting foods production, employment generation, health care, transport etc. per common man shall not exceed 20% as against the existing rate of 30%.

22. As per section 72 (A) of the Act regarding mergers and amalgamation of the companies the provisions also should be made applicable to cooperatives so that loss making cooperatives can be absorbed/ amalgamated with the profit making cooperatives.

23. To enable cooperatives help better capital formation and further to improve Current Account Deficit, Indian citizens who are abroad (NRI) due to employment may be allowed to be the members of cooperative societies and they should have rights as other members. This helps cooperatives in their capital formation, and cooperatives can use the technical and management expertise of NRIs in this regard.

24. The activities of a co-operative societies, income from which are not to be included in total income, to be prescribed in view of Clause 10 of Direct Tax Code Bill, 2010 read with Item No. 47 of Sixth Schedule should be included in Clause 47 of Sixth Schedule itself. Further, income of co-operative societies recognized/

महासम्मेलन के अवसर पर आई0 सी0 ए0 की अध्यक्षा पोलीन ग्रीन बोलते हुए।

किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के साथ मान्यता प्राप्त/पंजीकृत सहकारी समितियों को भी इस खंड के अधीन छूट प्राप्त होनी चाहिए।

25. डी. टी. सी. 2010 के खंड 294 (2) (ई) के अधीन सहकारी समितियों को स्वीकार्यता/ऋण की वापस अदायगी छूट से संबंधित प्रावधानों मे छूट दी जानी चाहिए अन्यथा 50,000 रूपए से अधिक राशि के लिए एकाउन्ट पेयी चैक या बैंक ड्राफट द्वारा उन्हें भुगतान किया जाना चाहिए ताकि ये समितियां छोटे स्तर पर कार्य कर सकें।

26. डी.टी.सी. 2010 की तृतीय अनुसूची की क्रम संख्या 3 में ब्याज आय पर 10% दर से कर कटौती की व्यवस्था है। सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों या अन्य सहकारी समिति को अदा की जाने वाली ब्याज आय पर स्त्रोत पर कर मे कटौती से विशेष छूट दी जानी चाहिए जिससे कि इसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194A(3) (v) के बराबर रखा जा सके।

27. सहकारी समितियों से, देश में कार्य कर रही कुल समितियों की संख्या, उनका स्वरूप, प्राप्तियों, सृजित रोजगार अवसरों आदि से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिएं जिससे कि राष्ट्र के प्रति सहकारी समितियों के योगदान का आंकलन किया जा सके। सुझावों की उद्देशिका का एक भाग होना चाहिए।

(वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इडिया, आयकर विभाग, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सहकारिता संगठन, राज्य सरकार, आर.सी.एस.)

Lkgdkfjrk ØfMV lDVj

1. सहकारी बैंक को देश में वित्तीय समावेश विस्तार में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इसकी समाज के सीमान्त वर्ग तक पंहुचने की अंतर्निहित क्षमता होती है।

2. केवल लाइसेन्स प्रदान किए जाने के लिए ही 4% सी.आर.ए.एफ. की शर्त मानी जानी चाहिए। नाबार्ड से पुनः वित्त पोषण के लिए नहीं।

3. अधिकांश एस.सी.बी. और डी.सी.सी.बी. को अनुसूचित बैंकों का दर्जा दिया जाना चाहिए।

4. वैद्यनाथन समिति रिपोर्ट के पैकेज को देश में दीर्घकालीन क्रेडिट संरचना लागू कर विस्तृत किया जाना चाहिए।

5. कृषि क्रेडिट लैंडिंग को सहकारिता क्रेडिट संरचना के माध्यम से सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

6. सहकारिता बैंक को जन–संम्पर्क, उत्पाद के विस्तार, विपणन और ब्रान्ड निर्माण में पहल करनी

registered with the National Co-operative Union of India should also be provided exemption under this clause.

25. Under clause 294(2)(e) of DTC, 2010, co-operative societies should be given exemption from the provisions relating to acceptance/ repayment of loan/ deposit otherwise than by an account payee cheque or bank draft in excess of Rs. 50,000/- as these Societies are working at small level.

26. Third Schedule of DTC Bill, 2010 provides for deduction of tax on interest income at 10% at S. No. 3 of Schedule. Specific exemption may be provided in respect of TDS on interest income paid by co-operative societies to its members or any other co-operative society to bring it in line with the provision of Section 194A(3)(v) of Income Tax Act, 1961.

27. Data from the Co-operative Societies such as total number of societies working in the country, their nature, receipts generated, employment opportunities created, etc. should be collected in order to identify the contribution of co-operative societies to the nation.

(Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, RBI, Income Tax Department, National/ State Level Cooperative Organisations/ RCS/ State Governments).

Shri Suresh Prabhu former Union Minister and Founder Trustee of IFFCO Foundation speaking in the Business Session of Cooperative Credit Sector-Issues and Challenges

Cooperative Credit Sector:

1. Cooperative banks should be involved in expanding financial inclusion in the country as they have inherent capacity to reach the marginalized section of the society.
2. Condition of 4% CRAF should be used for granting license only and not for re-finance from the NABARD.
3. Most of the SCBs and DCCBs should be granted status of schedule bank.
4. Package of Vaidaynathan Committee report should be extended for success of long term credit structure in the country.
5. Agriculture credit lending should be strengthened though cooperative credit structure.
6. Cooperative banks should take initiative in Public relations, extending their product, marketing and brand building to win the confidence of customers and regulators.

डा0 चन्द्रपाल सिंह यादव, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, श्री तारीक अनवर, केन्द्रीय मंत्री (राज्य), कृषि और सहकारिता मंत्रालय को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए।

चाहिए जिससे कि ग्राहकों और विनियामकों का विश्वास प्राप्त किया जा सके।

7. कारोबार संविधान के विस्तार की दृष्टि से प्रौद्योगिकी और व्यावसायिकता प्रदान करना।

8. शहरी सहकारी बैंक के लिए पूरे समय के लिए डायरेक्टर और लाभकारी प्रोत्साहन और अधिक उपयुक्त होने चाहिए।

9. सहकारिता का पूंजी निर्माण और व्यवसाय अपेक्षाकृत केन्द्रित होना चाहिए।

10. लघु–अवधि क्रेडिट सहकारिता संरचना को अपना व्यवसाय कृषि क्रेडिट क्षेत्र में पुनः संकेन्द्रित करना चाहिए क्योंकि 65% सदस्यों ने सहकारिता सैक्टर से ऋण सुविधा का लाभ नहीं उठाया है।

11. नियामक निकाय के निवेशों का सही अर्थ में अनुपालन करते हुए मानकीकृत बैलेंस शीट और व्यावसायिक लेखा परीक्षा को यू.सी.बी. की कार्यप्रणाली में शामिल किया जाना चाहिए ताकि स्टेक होल्डर्स का विश्वास प्राप्त किया जा सके।

(वित्त मंत्रालय, एन.एफ.एफ.सी. बैंक, आर.बी.आई, नाबार्ड, कृषि मंत्रालय, नाबार्ड, आर.बी.आई., राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय सहकारी संगठन, आर.सी.एस.)

'kgjh lk[k vkj xkeh.k lk[k {k=

1. सहकारिता बैंको पर आय कर लगाने के मुद्दे पर कृपया पुनः विचार किया जाए और वित्त अधिनियम 2006 के द्वारा लगाई गई धारा 80(पी) (4) को हटा कर सहकारी बैंकों के लिए पुनः आय कर अधिनियम की धारा 80(पी) (2) (i) को लागू की जाए।

श्री श्रीकान्त जेना, केन्द्रीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), रसायन, सांख्यिकी उर्वरक और कार्यक्रम कार्यान्वयन को स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करते हुए डा0 चन्द्रपाल सिंह यादव, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ।

7. Infuse technology and professionalism to extend business portfolio.
8. The provision of whole time director with remunerative incentive should be more appropriate for the urban cooperative banks.
9. Cooperatives should be more member centric in formation of capital and business.
10. Short term credit cooperative structure should re-focus its business in agriculture credit domain as 65% members did not avail loan facility from the cooperative sector.
11. Following the direction of regulatory body in right spirit, standardized balance sheet and professional audit should be included in functioning of UCBs to gain confidence of the stake-holders. Ministry of Finance RBI, NABARD, NAFSCB, etc.

(Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, NABARD, RBI, National/ State Level Cooperative Organisations, RCS).

Dr. Bijender Singh, Member Governing Council NCUI speaking in the Business Session.

URBAN BANK & RURAL CREDIT SECTOR

1. The issue of imposition of income tax on cooperative banks be revisited and the applicability of Sec.80(P)(2)(i) of the Income Tax Act be restored for cooperative banks by deletion of Sec.80(P)(4) that was introduced through Finance Act 2006.

2. The deductions of 10% of advances of their (commercial banks) rural branch made available to commercial banks may be made applicable to advances of all branches of urban banks.

3. The facility of section 43(D) is not available. As only 53 out of 1618 urban

Dr. Dinesh, Chief Executive, NCUI presented award to Shri K.K. Ravindran, MD, National Coop Agriculture and Rural Development Banks Fedn.

2. व्यावसायिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के अग्रिमों की 10% कटौती जो वाणिज्यिक बैंको को उपलब्ध करायी गई है उसे शहरी बैकों की सभी शाखाओं के अग्रिमों के लिए लागू किया जाना चाहिए।

3. चूंकि धारा 43(डी) की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और 1618 शहरी सहकारी बैंको में से केवल 53 बैंक अनुसूचित हैं और कई एस.टी. सहकारी बैंक और डी.सी.सी.बी. भी गैर अनुसूचित हैं, उन्हें शामिल किए जाने के लिए धारा 43डी में उपयुक्त संशोधन किए जाने होंगे जिससे कि ये लाभ सभी गैर–अनुसूचित बैंकों तक स्पष्टतया पहुंचाया जा सके।

4. निवेदन है कि सहकारी बैंकों को भी बैंकों को देय ऋण और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के दायरे में लाया जाना चाहिए जिससे कि वे भी अपने देय की वसूली के लिए टी.आर.टी से सम्पर्क करने के पात्र हो सकें।

5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिये और आवासीय ऋण के संबंध में सहकारी बैंकों को परिदान योजना के घेरे में शामिल किया जाना चाहिए।

6. परिसंघ, आर.बी.आई. से यह अनुरोध करता रहा है कि कम से कम शहरी बैंकों के निदेशकों को तो वाणिज्यक बैंकों के निदेशकों के समकक्ष माना जाए और उन्हें बी.आर. अधिनियम के अनुसार प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। निदेशकों को ऋण की कुल सीमा निर्धारित करके पूरी ऋण सुविधा पुनः स्थापित किए जाने का मामला चल रहा है।

7. उन लोगों की जिनकी जमा राशि कवर नहीं होती है उन्हें उन बैंकों की वसूली की प्राप्ति पर, जिनके लाइसेंस आर.बी.आई. द्वारा रद्द कर दिए गए हैं, कम से कम डी.आई.सी.जी.सी. के समरूप दर्जा मिलना चाहिए।

8. जो सहकारी बैंक सी.बी.एस. के अनुसार है, उन्हें भी प्रत्यक्ष लाभान्तरण योजना के लिए पात्र बैंकों की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।

9. शहरी सहकारिता बैंको को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए शिक्षा ऋण पर केन्द्रीय सेक्टर ब्याज इमदाद योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

10. केवल लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए ही 4% सी.आर.ए.आर. की शर्त का प्रयोग किया जाए, नाबार्ड से पुनः वित्त पोषण के लिए नहीं।

11. वैद्यनाथन समिति रिपोर्ट के पैकेज को देश की दीर्घकालीन क्रेडिट संरचना हेतु लागू किया जाना चाहिए।

12. लघु अवधि क्रेडिट सहकारिता संरचना को अपना व्यवसाय कृषि क्रेडिट क्षेत्र में पुनः संकेन्द्रित करना चाहिए क्योंकि 65% सदस्यों ने सहकारिता सैक्टर से ऋण सुविधा का लाभ नहीं उठाया।

श्री शिव पाल सिंह यादव, सहकारिता मंत्री, उत्तर प्रदेश का स्वागत करते हुए डा0 चन्द्रपाल सिंह, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ।

cooperatives banks are scheduled and many state coop. banks and DCCBs are also non- scheduled, suitable amendments to the section 43D to include them has to be made to explicitly extend the benefits of the section to all non scheduled cooperative banks.

4. It is submitted that the cooperative banks may also be brought under the purview of the Debts due to banks and financial institutions Act 1993, so that they become eligible to approach DRTs for recovery of their dues.

5. In view of the above, to review and include urban cooperative banks within the ambit of the above subvention scheme in respect of housing loans.

6. The Federation has been requesting RBI to at least treat directors of urban banks on the same footing as directors of commercial banks in this regard and permit them facilities from their banks that are allowed as per B.R. Act. There is a case for full restoration of loan facilities to directors with a cap on the aggregate of such loans.

7. Claims of the depositors whose deposits are not covered should at least have same status with that of DICGC on the proceeds of recoveries of the banks whose licenses have been cancelled by RBI.

8. It is requested that cooperative banks that have become CBS compliance should also be included as the eligible banks for the Direct Benefit Transfer Scheme.

9. There should be inclusion of Urban Cooperative Banks in the Central Sector Interest Subsidy scheme on Educational Loan for Economically Weaker Sections.

10. Condition of 4% CRAR should be used for granting license only and not for re-finance from the NABARD. Most of the SCBs and DCCBs should be granted status of schedule bank.

11. Package of Vaidaynathan Committee report should be extended for success of long term credit structure in the country.

12. Short term credit cooperative structure should re-focus its business in agriculture credit domain as 65% members did not avail loan facility from cooperative sector.

(Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, NABARD, RBI, National, State Level Cooperative Organisations, RCS).

Dr. U.S. Awasthi, Managing Director, IFFCO giving the concluding remarks of Business Session on Cooperative Enterprises Acceptable Business Model.

(वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, नाबार्ड, आर.बी.आई., राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय सहकारिता संगठन/आर.सी.एस.)

Lkgdkjh m|e 0;olk; ekMy

1ए भारत में आनंद पैटर्न को पुनरावृत्ति के लिए जो मूल उपादान अपेक्षित है, वह है – सरकारी तंत्र को कम से कम शामिल करना, नीचे से ऊपर ले जाने का दृष्टिकोण न कि ऊपर से नीचे लाने की धारणा, सदस्य सहभागिता सुनिश्चित करना, वचनबद्व और व्यावसायिक नेता चुनना।

(स्टेक होल्डरः भारत सरकार, राज्य सरकार, एन.डी.डी.बी., जी.सी.एम.एम.एफ., एन.सी.यू.आई और एन.सी.सी.टी.)

2. सहकारिता का अत्यन्त प्रभावी सिद्धांत यह है कि "सहकारी संस्थाओं में परस्पर सहयोग" होना चाहिए और यदि इस सिद्धांत को पूर्णतः व्यावहारिक रूप में लागू किया जाए तो व्यापक व अनेक साधनों का उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। चूंकि सहकारिताओं की संगठनात्मक व्यवस्था ऐसी होती है कि वे प्रत्येक दृष्टि से अपना ताल–मेल कायम कर सकती हैं जिसके फलस्वरूप ये सहकारिताएं आपस में कारोबार संबंधी कार्य–कलाप हेतु पारस्परिक क्रिया या अन्तः संबंध स्थापित कर पाती हैं। सहकारिताओं के बीच सहयोग सुनिश्चित किए जाने की मूलभूत अपेक्षाएं हैं – सहकारिताओं के बीच विश्वास प्राप्त करना, मार्गदर्शन नीति और कानूनी व्यवस्था बनाना और व्यावसायिक प्रबंधन टीम विकसित करना।

(स्टेक होल्डरः भारत सरकार, राज्य सरकारें, एन.सी.यू.आई. और एन.सी.सी.टी.)

3. यह सत्य है कि भारत सरकार की अधिकांश योजनाएं और कार्यक्रम वास्तव में लाभकारी सिद्ध नहीं हुए हैं। योजनाओं और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक प्रभावी कार्यान्वयन और जाँच अभिकरण होना चाहिए।

(स्टेक होल्डरः भारत सरकार, राज्य सरकारें, सहकारी संघ, एन.सी.यू.आई. और एन.सी.सी.टी.)

Lkgdkjh fo/kku vkj xou!l% fopkj.kh; eqís

बिजनेस सत्र में डा0 जी0 एन0 सक्सेना, निदेशक, (सहकारी विकास) इफको उदबोधन देते हुए।

1. सहकारिताओं में इनके भावी विकास के लिए युवा और युवक वर्ग की सहभागिता अधिक से अधिक अनिवार्य है। सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सहकारिताओं को अधिक लाभप्रद और सुदृढ़ बनाएगी। सहकारिताओं की सफलता उनके समर्पित निःस्वार्थ और सक्रिय नेतृत्व पर निर्भर करती है।

(भारत सरकार, राज्य सरकारे, सभी राष्ट्रीय सहकारी संघ, राज्य सहकारी संघ)

COOPERATIVE ENTERPRISE – ACCEPTABLE BUSINESS MODEL

1. The basic ingredient required for the replication of Anand pattern in India is to reduce the involvement of government machinery, bottom up approach rather than top down approach, ensuring member participation and also developing committed and professional leaders.

   (Government of India, State Governments, NDDB, GCMMF, NCUI and NCCT).

2. The most important cooperative principle i.e. "Cooperation among cooperatives" if implemented in letter and spirit ensures the tapping of economies of scale. The organizational configuration of cooperatives facilitate them to have both horizontal as well as vertical integration which allows these cooperatives to interact so as to do the business activities among themselves. The basic requirement of ensuring cooperation among cooperatives is to build the mutual trust amongst the cooperatives, and create conducive policy and legal frame work for developing the professional management team.

   (Government of India, State Governments, cooperatives, NCUI and NCCT).

3. It is true that most of the schemes and programmes of the Government of India do not reach the real beneficiaries at the grass-root level. In order to ensure the outreach of the schemes and programmes, there shall be a effective implementing and monitoring agency both at the Central and State level.

   (Government of India, State Governments, Cooperative Federations, NCUI and NCCT)

COOPERATIVE LEGISLATION AND GOVERNANCE : RECENT TRENDS

1. The participation of youth and young blood in cooperatives is more essential for their future growth. The active participation of members will make the cooperatives healthier and stronger as success of cooperatives depend on their dedicated, selfless and active leadership.

   (GOI, State Governments, All National Cooperative Federations, State Cooperative Union)

2. There is a need for a special legislation or inclusion of a separate Chapter in

A view of the dias of Business Session (L to R) Dr. Dinesh, C.E. NCUI, Shri R.K. Tiwari, IAS, M.D. NHB, Shri G.H. Amin, Vice-President, NCUI, Ms. Dame Pauline Green, President ICA, Dr. M.L. Khurana, MD NCHF and Shri D. Krishna, Advisor , NAFCUB.

2. आवासीय सहकारिताओं से संबंधित वर्तमान सहकारिता अधिनियम में विशेष विधान या अलग से एक अध्याय शामिल किए जाने की आवश्यकता है, यद्यपि आवासीय सहकारिताओं पर एक मॉडल विधि का ड्रॉफ्ट तैयार करके भारत सरकार शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और विधि मंत्रालय से अनुमोदित करा लिया गया है। उसे सभी राज्य सरकारों को भेजा गया है और दिल्ली, गोआ, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इस पर कार्यवाही आरम्भ भी कर दी है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि अन्य राज्य सरकारें भी इस पर विचार करें।

(सभी राज्य सरकारें, एम.एस.सी.एस.)

Je lgdkfjrk,

1. माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित श्रम सहकारिताओं पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों के अनुसार श्रम सहकारिताओं के लिए कुशल कार्यों हेतु 15 लाख रूपए और किसी भी स्तर तक के कार्य श्रमिक सहकारिताओं के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए।

2. श्रम सहकारिताओं को निम्नतम निविदा दरों के ऊपर 10% मूल्य प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।

3. श्रम सहकारिताओं को क्रमशः राज्य सरकारों, श्रम और रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले बिक्रीकर, श्रम उप–कर, आयकर और सेवा शुल्क से पूरी छूट मिलनी चाहिए।

4. कृषि मंत्रालय, भारत सरकार और योजना आयोग को श्रम सहकारिता सदस्यों के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एन.एल.सी. एफ. द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली निजी दुर्घटना बीमा योजना पर विचार करके उसे अनुमोदित करना चाहिए।

5. कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एन.एल.सी. एफ. को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए जिससे कि वह श्रम सहकारिताओं के सदस्यों को अल्प–अवधि और दीर्घ–कालिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत में दिल्ली या अन्य किसी उपयुक्त स्थान पर खाने की सुविधा सहित स्थायी व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर सके।

6. रेल मंत्रालय, भारत सरकार को रेलवे बोर्ड में सहकारिता सेल (प्रकोष्ठ) को पुनः प्रवर्तित करना चाहिए। रेल श्रम सहकारिताओं को रियायत और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए पहले जारी किए गए अध्यादेशों को पुनः विधि मान्य करना चाहिए।

7. वन और पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कार्यरत वन श्रम सहकारिताओं के लिए दीर्घकालिक कार्य–योजना पर विचार करना चाहिए।

8. सहकारी संगठनों को विशेषकर राष्ट्रीय राज्य सहकारी संघ को सुरक्षा, सिविल निर्माण और गृह प्रबन्धन कार्यों को श्रम सहकारिताओं के लिए आरक्षित करना चाहिए। इन संगठनों को चाहिए कि वे एन.एल.सी.एफ. के माध्यम से इनकी बाह्य स्रोत आवश्यकताओं को भी पूरा करें।

9. कृषि मंत्रालय भारत सरकार और एन.सी.यू.आई. को देश में कमजोर वर्ग की सहकारिताओं के संवर्धन के लिए 25% शिक्षा निधि आरक्षित करने पर विचार करना चाहिए।

(कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय श्रम सहकारी संस्थाएं, राज्य सरकार, आर.सी.एस.)

present Cooperative Act relating to Housing Cooperatives. However, a Model Law on Housing cooperatives has already been drafted and approved by the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation and Ministry of Law, GOI. The same has been sent to all State Governments and the States like Delhi, Goa, J&K and Madhya Pradesh which have already initiated action on it. It is therefore, suggested that other State Governments should also consider the same.

(State Governments, MSCS, NCHF)

LABOUR COOPERATIVES

1. As per recommendations of National Advisory Council on Labour Cooperatives constituted under the Chairmanship of Hon'ble Minister for Agriculture, Government of India, the skilled works upto Rs. 15 lakhs and unskilled works without any limit should be reserved for labour cooperatives.
2. 10% price preference should be given to labour cooperatives over the lowest tendered rates.
3. Labour cooperatives should be exempted totally from the levy of Sales Tax, Labour Cess, Income Tax and Service Tax by the State Governments, Ministry of Labour & Employment and Ministry of Finance, Government of India respectively.
4. Ministry of Agriculture, Government of India and Planning Commission should consider and approve Janta Personal Accidental Insurance Scheme for members of labour cooperatives to be implemented through NLCF during 12th Five Year Plan.
5. Ministry of Agriculture, Government of India should provide financial assistance to NLCF to establish a permanent vocational training centre with boarding facilities in Delhi or any other suitable place in India for providing short and long-term skill development training to the members of labour cooperatives..
6. Ministry of Railways, Government of India should revive the Cooperative Cell in the Railway Board and revalidate the notifications issued earlier for granting the concessions and facilities to Railway labour cooperatives.
7. Ministry of Forest and Environment, Government of India should consider a long term working plan for the forest labour cooperatives working in Rajasthan, Gujarat and Vidharba region of Maharashtra
8. Cooperative organizations particularly National level Cooperative Federations should reserve their security, minor maintenance, civil construction and housekeeping jobs for labour cooperatives through NLCF. These organizations should also fulfill their outsourcing needs from NLCF.
9. Ministry of Agriculture, Government of India and NCUI should consider to reserve 25% of Education Fund for promotion of weaker sections cooperatives in the country.

   (Ministry of Agriculture, Ministry of Railway, Ministry of Labour, National/ State Level Federations, RCS, State Govts.)

FISHERIES COOPERATIVES

1. More grant should be provided to weaker section co-operatives, especially fisheries cooperative.

eRL; lgdkfjrk,a

1. कमजोर वर्ग की सहकारिताओं विशेषतः मछली उद्योग सहकारिता को अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए।

2. कमजोर वर्ग की सहकारिताओं को आयकर में छूट (लाभ) दिया जाना चाहिए।

3. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मछली उद्योग को कृषि के समकक्ष समझा जाना चाहिए।

4. मछली उद्योग सहकारिताओं को प्रशिक्षण के अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिएं।

(कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय स्तरीय संस्थाएं, राज्य सरकार, आर.सी.एस.)

xkgd vkj vU; mRiknu% lgdkfjrkvksa dh Hkwfedk

1. उपभोक्ताओं को सहकारिताओं के माध्यम से खाद्य उत्पादन से जोड़े जाने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिएं जिससे कि बिचौलियों को पूरी तरह से रोका जा सके।

2. भारत सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में उपभोक्ता सहकारिताओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए, और एन.सी.यू.आई. को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

3. लोक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) जो कि पहले सहकारिताओं के पास थी उसे देश में पुनः स्थापित किया जाना चाहिए।

4. सरकारी विभागों द्वारा केवल उपभोक्ता सहकारिताओं से ही लेखन–सामग्री खरीदने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिएं।

5. उपभोक्ता को पुनः परिभाषित किए जाने के प्रति कदम उठाए जाने चाहिएं और उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्वास्थ्य, शिक्षा, शिशु–कल्याण वृद्धाश्रम और पर्यटन आदि के संबंध में नए रास्तों की खोज की जानी चाहिए।

6. परिवहन–लागत को कम करके, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के अवसरों का सृजन करने, कृषकों को उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन में भागीदार बनाने, समुदाय प्रबन्धन और सामूहिकीकरण, कृषक फील्ड स्कूल (एफ.एस.एस.) सहकारिता की तरह संस्थागत रचना तंत्र अपनाना, कृषकों को सूचना, संम्प्रेषण और प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के माध्यम से सशक्त करके लोक वितरण प्रणाली को अधिक ठोस और प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाने की पहल की जानी चाहिए।

7. वित्तीय सहयोग के अलावा सरकार को उपभोक्ता सहकारिताओं को नीति और प्रचलन संबंधी सहयोग भी देना चाहिए।

8. देश के विभिन्न भागों में स्थित खाद्य और संसाधन यूनिटों के साथ संबंध बनाकर उपभोक्ता सहकारिताओं का एक नेटवर्क स्थापित किए जाने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिएं। इसके लिए एन.सी.सी.एफ. द्वारा एक डाटाबेस बनाया जाना चाहिए।

9. राष्ट्रीय बागबानी मिशन के माध्यम से अधिक सब्जी और फल सहकारी समितियां आरम्भ की जानी चाहिएं और उनका उपभोक्ता सहकारिताओं के साथ संबंध स्थापित किया जाना चाहिए ।

(कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण, राष्ट्रीय स्तरीय सहकारी फेडरेशन, सहकारिता विभाग – सभी राज्य/आर.सी.एस.)

Ekfgyk vkj ;qok

1. प्राथमिक शिक्षा में सहयोग (कोआपरेशन) पर एक विषय शामिल किए जाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं।

2. Income-tax exemption (benefits) should be provided to weaker section co-operatives.

3. Fisheries should be treated at par with Agriculture in all States and Union Territories.

4. More training opportunities for fishery co-operatives should be provided to them.

(Ministry of Agriculture, Govt. of India, National Level Federation, FISHCOPFED, RCS, State Govts.

CONSUMER AND FOOD PRODUCTION – A ROLE OF COOPERATIVES

1. Steps should be initiated towards linkage of food production to consumers through cooperatives to avoid middlemen completely.

2. Crucial role should be given to consumer cooperatives in the proposed Food Security Bill of Govt. of India and NCUI may initiate necessary steps in this regard.

3. Public Distribution System (PDS) which was earlier with the cooperatives shall be restored in the country.

4. Stringent steps should be initiated to purchase stationery by govt. departments from consumer cooperatives only.

5. Steps should be initiated to re-define the consumer services and explore avenues such as health, education, child care, old Age homes and tourism sectors should be explored to provide services at lower prices to the consumers.

6. Steps should be initiated to make public distribution system smart and efficient by reducing transportation cost, co-create research and technology transfer, make farmers as partners in consumer cooperative movement, community management and collectivization, Farmer Field Schools (FFS), which adopt institutional mechanism like that of cooperatives, empower farmers through Information Communication & Technology (ICT).

7. Besides financial support, government should provide policy and operational supports to the consumer cooperatives.

8. Steps should be initiated to build a network of consumer cooperatives linked with the production and processing units located in different parts of the country. For this, a database should be created by NCCF.

9. More vegetables and fruit cooperative societies should be started through National Horticulture Mission and they should be linked be with consumer cooperatives.

(Ministry of Consumer Affairs Food & Public Distribution / Ministry of Agriculture, Govt. of India, NCCF National Level Federation, RCS, State Govts.

WOMEN AND YOUTH

1. Steps shall be initiated to include a subject on “cooperation” at primary education level.

2. Action shall be initiated for the 50 per cent of the reservation for the women in cooperatives.

बिजनेस सत्र में मंच पर आसीन विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों का एक दृश्यं।

2. सहकारिताओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किए जाने हेतु कार्यवाही आरम्भ की जाए।

3. सहकारिताओं द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल निर्माण के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं।

4. संघ स्तर पर और सहकारिता विभाग द्वारा जिला स्तर पर जेन्डर डाटाबेस जेन्डर मुद्दों के लिए विधिक प्रावधान और निश्चयात्मक विभेद पर कार्य करने की दिशा में कदम उठाने की पहल की जानी चाहिए।

5. टी.वी. सहित विपणन चैनलों के प्रयोग के माध्यम से सहकारिताओं के संबंध में जागरूकता लाई जानी चाहिए।

6. सहकारिताओं के सभी स्तरों पर महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को कम करने के लिए एक अलग सेल बनाए जाने की आवश्यक्ता है।

(कृषि मंत्रालय, महिला एवं बाल मंत्रालय सहकारिता विभाग सभी राज्य– एन.सी.सी.टी./राष्ट्रीय स्तरीय संस्थाएं)

mHkjrh lgdkfjrk,a vkj detkj oxZ lgdkfjrk,a

1. वर्तमान में सहकारिताएं आर्थिक कार्य–कलाप के सभी क्षेत्रों में आरम्भ हो गई हैं, विशेषकर शिक्षा, पर्यटन, परिवहन, बीमा, स्वास्थ्य देखभाल आदि के क्षेत्र में। सहकारिताएं न केवल अपने सदस्यों की सामाजिक– आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, बल्कि सामाजिक संगठनों और संबंध संगठनों के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं।

2. वर्तमान में ये अपने मुख्य ग्राहकों के लिए विशेषकर कृषकों, उत्पादकों, कारीगरों,

IFFCO Foundation representative speaking in the
Business Session on Women and Youth in Cooperatives.

3. Steps shall be initiated to involve cooperatives in vocational training and skill- building.

4. Steps shall be initiated to work on gender database, of cooperatives. There should be legal provision for gender issues and positive discrimination at district level by the cooperative department at federation level

5. Awareness on cooperatives should be created through use of marketing channels including TV.

6. There is a need to have separate cell to take care of crime against the women at all levels of cooperatives.

(Ministry of Agriculture, Govt. of India, Ministry of Women & Youth, National Level Federation, RCS, State Govts.

EMERGING COOPERATIVES AND WEAKER SECTION COOPERATIVES

1. Cooperatives have now entered into all the fields of economic activities more particularly in emerging areas like education, tourism, transportation, insurance, health care etc. Cooperatives not only play meaningful role in improving the socio-economic position of their members but also serve as an effective catalyst for social cohesion.

2. Today cooperatives are working professionally for their core-clientele particularly farmers, growers, artisans, producers and women. These organistions need to be made commercially viable in the

उत्पादनकर्ताओं और महिलाओं के लिए व्यवसायिक रूप से कार्य कर रही हैं। इन संगठनों को महत्वपूर्ण वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाया जाना और ग्रामीण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संग्रहण और आतिथ्य आदि के क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। वास्तव में नए उभरते हुए क्षेत्रों में विद्युत जन अनुपूरक ईंधन उत्पादन और सेवा क्षेत्र भी आ जाते हैं।

3. कमज़ोर वर्ग के समुदाय जैसे कि – कामगार, ठेका श्रमिक, मछुआरे, (वीवर) बुनकर, महिलाएं आदि को भी सहकारिता आन्दोलन में शामिल किया गया है जिससे कि उन्हें लाभप्रद रोज़गार उपलब्ध कराया जा सके और उन्हें गरीबी के दुश्चक्र से बाहर निकाला जा सके।

4. समाजिक विकास के क्षेत्र में सहकारिताओं की भूमिका सराहनीय रही है । सहकारिता अस्पताल, शिक्षा सहकारिता, आवास सहकारिताएं, परिवहन सहकारिताएं, पर्यटन सहकारिताएं और उपभोक्ता सहकारिताएं व्यक्तियों के मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं।

(कृषि मंत्रालय, राज्य सरकार, आर.सी.एस., राष्ट्रीय स्तरीय संस्थाएं)

डा0 चन्द्रपाल सिंह यादव, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ डा0 वीरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, एन0सी0सी0एफ0 को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए।

areas such as rural, health, water harvesting and hospitality etc. In fact new emerging areas are also areas like power generation, production of supplementary fuel and service sector.

3. The weaker section of the community such as workers, fishermen, contract labour, weavers, women etc. have also been embraced by the cooperative movement to provide them gainful employment and to bring them out of the vicious circle of poverty.

4. In the field of social development the role of cooperatives has been quite appreciable. Cooperative hospitals, housing cooperatives, transport cooperatives, tourism cooperatives and consumer cooperatives have been rendering pivotal role in human development.

(Ministry of Agriculture, Govt. of India, RCS, State Govts., National Level Federations.

Hon'ble Governor of Punjab & Administrator U.T. Chandigargh Shri Shivraj V. Patil presenting the award to Shri TPR Dora, Vice-Precident FISHCOPFED. NCUI President Dr. Chandra Pal Singh also seen with him.

श्री शरद पवार, केन्द्रीय कृषि मंत्री सहकारी महासम्मेलन के अवसर पर अध्यक्षीय भाषण देते हुए।

Shri Sharad Pawar, Hon'ble Union Minister of Agriculture and Food Processing Industries lighting the lamp on the occasion of inaugural function of 16th Indian Cooperative Congress.

A Group Photo of dignitaries on the occasion

ABOUT US

The National Cooperative Union of India (NCUI), is the apex organization representing the entire cooperative movement in the country. It was established in 1929. The objectives of the NCUI are " to promote and develop the cooperative movement in India, to educate, guide and assist the people in their efforts, to build up and expand the cooperative sector and to save as an exponent of cooperative opinion in accordance with cooperative principles".

The National Cooperative Union of India has travelled a long way since then and now emerged as the sole representative of the Cooperative movement in the country. Being the apex organization of the Indian cooperative movement in the country, the NCUI is committed to lend dynamism and vibrancy to the cooperative sector. To make the voice of cooperation as strong as ever is NCUI'S supreme motto.

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

National Cooperative Union of India

3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016

दूरभाष/Phone : 26861988, 26861472 फैक्स/Fax : 011-26863248, 011-26865350

ई-मेल/E-Mail : ncuidel@ndb.vsnl.net.in वेबसाईट/Website : www.ncui.coop